न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली

सत्र वाद सं०–850/2024

सरकार बनाम राम बहादुर उर्फ बहादुर

दिनांक–31.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त राम बहादुर उर्फ बहादुर गैर हाजिर।

इस प्रकरण में अभियुक्त राम बहादुर उर्फ बहादुर की मृत्यु सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाने से मृत्यु आख्या आहूत किया गया।

थाना हरचंदपुर, रायबरेली से उपनिरीक्षक प्रवेश तुषार द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत किया गया कि मृतक की पत्नी गेंदावती ने अपने पति राम बहादुर की मृत्यु होना बताया है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया है। उपनिरीक्षक द्वारा अपनी आख्या तथा उ०प्र० सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया गया।

इस सम्बन्ध में तामीलकर्ता उपनिरीक्षक प्रवेश तुषार का बयान न्यायालय समक्ष अंकित किया गया। साक्षी द्वारा मृत्यु आख्या को प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित करते हुए इस बात की पुष्टि किया गया कि अभियुक्त राम बहादुर उर्फ बहादुर की मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त के गांव के ग्राम प्रधान रामचंद्र को भी न्यायालय द्वारा तलब किया गया। श्री राम चंद्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए और उनका बयान सी.डब्लू.2 के रूप में अंकित किया गया। साक्षी द्वारा सशपथ बयान देते हुए अभियुक्त राम बहादुर पुत्र दीवान निवासी पैडेपुर थाना हरचंदपुर की मृत्यु की पुष्टि किया गया और अपने द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्श ख–2 के रूप में साबित किया गया।

इस प्रकार सी.डब्लू.1 उपनिरीक्षक तथा सी.डब्लू.2 ग्राम प्रधान रामचंद्र एवं उ०प्र० सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण के मात्र अभियुक्त राम बहादुर उर्फ बहादुर की मृत्यु दिनांक 22.03.2026 को चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस पत्रावली में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं बची है। अभियुक्त राम बहादुर उर्फ बहादुर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही उपशमित किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार पाण्डे)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.08.01 10:50:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli